

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 नवम्बर 2011—कार्तिक 11, शक 1933

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2011  
2 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 11-2-2006-सात-शा-6.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-19-2006-एम एण्ड जी, दिनांक 28 फरवरी 2011 द्वारा संसूचित अनापत्ति अनुसरण में राज्य शासन, एतद्वारा, अलीराजपुर जिले के ग्राम “भाबरा” का नाम परिवर्तित कर “चंद्र शेखर आजाद नगर” करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2011  
2 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 11-2-2006-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 11-2-2006-सात-शा-6, दिनांक 31 अक्टूबर 2011/2 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st October 2011  
2nd November 2011

No. F. 11-2-2006-VII-6.—in pursuance of no objection conveyed by Government of India, Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-19-2006-M&G, dated the 28th February, 2011 the State Government hereby change the name of village of “BHABHRA” district Alirajpur as “CHANDRA SHEKHAR AZAD NAGAR” with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.